

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 20/02/2020

फा.सं.7-1/2019-हि.अ.

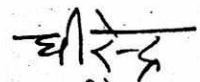
विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल द्विभाषी रबड़ की मोहरों के प्रयोग संबंधी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशानुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में प्रयोग में लायी जाने वाली सभी रबड़ की मोहरें अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस संबंध में दिनांक 05.11.2019 को एक परिपत्र जारी करके संस्थान में केवल द्विभाषी रूप में ही बनी रबड़ की मोहरों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था परंतु ऐसा देखने में आया है कि संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में कुछ संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण द्वारा रबड़ की जो मोहरें प्रयोग में लायी जा रही हैं, वे अभी भी केवल अंग्रेजी में ही हैं जोकि राजभाषा विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी नियमों का अल्लंघन है।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 16.12.2019 को आयोजित हुई बैठक में इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और निदेश दिया गया कि संस्थान में केवल द्विभाषी रूप में ही बनी रबड़ की मोहरों का प्रयोग किया जाए तथा इस आशय का एक परिपत्र पुनः जारी किया जाए।

अतः दिनांक 05.11.2019 को इस संबंध में जारी परिपत्र तथा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए उक्त निर्णय के अनुपालन में, सभी संबद्ध विभागों/केंद्रों में कार्यरत संकाय-सदस्यगण व अधिकारीगण से पुनः अनुरोध है कि कृपया राजभाषा विभाग के आदेशों को विचार में लेते हुए रबड़ की सभी मोहरें द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेजी) रूप में बनवा ली जाएं। इस विषय में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त मोहरों में हिंदी ऊपर तथा अंग्रेजी नीचे अथवा हिंदी पहले और अंग्रेजी बाद में हो। संबंधित केंद्र-प्रमुखगण/विभाग/अनुभाग अध्यक्षगण से यह भी अनुरोध है कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग/अनुभाग/केंद्र में केवल द्विभाषी रबड़ की मोहरों का ही प्रयोग हो रहा है।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु पुनः जारी किया जाता है।


(धीरेन्द्र वर्मा)

उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी

वितरण : सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि :

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय में निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)।
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

✓ श्री अभिल

20/2/2020